

नं०- 15/2025

तारीखरजू:- 07/07/2025

उनवान:- कैलीदेवी बनाम ग्राम पंचायत करीरी

अपील विरुद्ध नामांतरण स० 41 दिनांक 20.08.2005

अन्तर्गत धारा 75

दिनांक	फर्द अहकाम
--------	------------

2025

अपीलांत की और से श्री महेन्द्र कुमार शर्मा एडवोकेट ने अपील विरुद्ध नामांतरण स० 41 दिनांक:- 20.08.2005 अन्तर्गत धारा 75 के तहत प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेन्ट को तहसील क्षेत्र में जरिये तहसीलदार व तहसील क्षेत्र से बाहर के जरिये रजिस्टर्ड नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 11.08.2025 को पेश हो।



(पूजा मीना)
उप खण्ड अधिकारी
टोडाभीम जिला करौली

3269-70
7/7/25

11/8/25

पत्रावली पेश हुई वकील अपीलांत उपस्थित
इसके न० 1, 2 की नोटिस लागू करके स्वयंसे
इस क्षेत्र की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। अपील
न० 2 की जोर से पेशात एकादश दिनांक
इसके न० की कार्यवाही एक पत्रावली तहसील क्षेत्र में जारी की
जाएगी। आकाश प्रिय लखन भूख नामांतरण
दिनांक 17/9/25 को पेश हो

17/9/25

वादी वकील/वकील उभय पक्ष उपस्थित
पीठाधीन अधिकारी राधाकृष्ण रेड्डी ने पत्रावली पेश की।
पत्रावली गतानुसार दिनांक 6-11-25
को पेश हो।

06.11.25

पत्रावली पेश हुई वकील अपीलांत उपस्थित।
तले पत्राव एवं मूल नामांतरण दिनांक 27.11.25
को पेश हो।

28/11/25

27.11.25

श्री वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित
पीठासीन अधिकारी... करौली... 24.11.25
प्रावली गता नुसार दिनांक... 21.12.25
को पेश हो।

12 श्री वकील/वकील उमय पक्ष उपस्थित
12.11.25 पीठासीन अधिकारी... करौली... मीरगा में पेशारे है।
प्रावली गतानुसार दिनांक... 21.12.26
को पेश हो।

26 प्रावली पेश हुई। वकील वादी व सरकार
पैरोकार उपस्थित। पैरोकार सरकार ने कथन
किया कि वादिना ने एक इन्तर्गत 9.1.12
इन्तर्गत धारा 136 RTA के न्यायालय में
पेश किया है जिसमें नाम सुदित नाम लेखु न्यायालय
से डाकुतोष किया है तथा तहसीलदार रिपोर्ट
ता. 01/09/25 इस नामांतरण में सरवत से
वादिना का नाम कैला देवी पालि यादराग
दर्ज हुआ जो कि धारा 136 के इन्तर्गत
कैला देवी पालि यादराग करण इच्छित
पतीत होता है।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि
वाद सं. 82/2025 में वादिना इस बुराजख
आधिनियम 1956 की धारा 136 के इन्तर्गत
नाम डुकस्ती का वाद दाखर किया जो
डादिनाक स्वीकार कर लिया जाता है।

इस: इस इन्तर्गत नामांतरण में कोई
डाकुतोष नहीं करता।

वकील प्राथी ने उक्त तथ्यों को
स्वीकार करते हुए कथन किया कि
वादिना का मुख्य डाकुतोष नाम डुकस्ती है।

Report
TIR

Not
maintainable
Being
under
136

28.11.25

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर टोडाभीम जिला

दिनांक

फर्द अहकाम

इतः न्यायालय द्वारा वाद के. 82/2025
 इंतर्गत धारा 136, राजस्थान भूराज्य
 अधिनियम 1956 के अंतर्गत इसी कानून
 के साथ पेश किया जिसका निस्तारण किया
 जा चुका है।

इतः अगोचर वारिस का उत्तर वाद
 पहले ही निस्तारित किया जा चुका है इतः
 इस कमीशन में बिना किसी वाद कारण
 उत्पन्न हुए खारिज किया जाने उपरि है।

आज तारीख 21.1.26 को कमीशन अंतर्गत
 धारा 75 राजस्थान राजस्व अधिनियम 1956
 प्राथमिकी की कमीशन खारिज की जाकर 91-9
 का निस्तारण किया जाता है।

91-9. कैमल सुमार होकर नंबर के कर ले।

(Handwritten signature)

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर
 टोडाभीम जिला